उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-38/2022/929/30-3-2022-17बी/2016

लखनऊ: दिनांक 05 मई, 2022

संशोधन/शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई 2022 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2041-वाहन कर-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान हेतु धनराशि रू० 37.238 लाख के वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या-36/2022/910/30-3-22-17बी2016, दिनांक 02 मई, 2022 निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-1 की मदवार तालिका की प्रथम मद (01-वेतन) हेतु स्वीकृत प्राविधान की धनराशि में रू० 60.00 लाख के स्थान पर 06.00 लाख तथा 04 माह हेतु लेखानुदान की स्वीकृत धनराशि में रू0 20.00 लाख के स्थान पर धनराशि रू० 02.00 लाख त्रुटिवश अंकित हो गया है। इसी प्रकार तृतीय मद (03-मंहगाई भत्ता) हेतु स्वीकृत प्राविधान की धनराशि में रू० 22.20 लाख के स्थान पर धनराशि रू0 02.22 लाख तथा 04 माह हेतु लेखानुदान की स्वीकृत धनराशि में रू0 07.40 लाख के स्थान पर धनराशि रू० 00.74 लाख त्रुटिवश अंकित हो गया है।

अत: शासनादेश दिनांक 02 मई, 2022 के प्रस्तर-1 की मदवार तालिका की प्रथम मद (01-वेतन) के स्वीकृति प्राविधान के अंतर्गत धनराशि रू० 06.00 लाख के स्थान पर 60.00 लाख एवं 04 माह हेतु लेखानुदान की स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत 02.00 लाख के स्थान पर धनराशि रू० 20.00 लाख पढ़ा जाय। इसी प्रकार तृतीय मद (03-मंहगाई भत्ता) के स्वीकृत प्राविधान के अंतर्गत धनराशि रू० 02.22 लाख के स्थान पर 22.20 लाख एवं 04 माह हेतु लेखानुदान की स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत 0.74 लाख के स्थान पर धनराशि रू० 07.40 लाख पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 02 मई, 2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

ह०/-

(डा० अखिलेश कुमार मिश्रा)

विशेष सचिव।

संख्या-38/2022/929(1)/30-3-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्टेट लखनऊ।
4. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
6. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०/-

(मदन मोहन)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in